मध्यप्रदेश शासन

योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल 462004

क्रमांक 501/793/2021/23/यो.आ.सां. भोपाल, दिनांक 03/06/2021.

प्रति

जिला कलेक्टर (समस्त),
मध्यप्रदेश।

विषयः- CSOs/NGOs/नागरिकों/वॉलेंटियर्स से समन्वय हेतु राज्य स्तर पर नोडल संस्था एवं संभाग/जिला/विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारी नामांकित करने के संबंध में।

संदर्भः-i) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार का DO No.M-11011/8/2020-SJE dated 22.04.2021।

ii) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार का DO No. 5/55/2020/NDMA/CBT (Part) Dated 06.05.2021।

iii) गृह विभाग, म.प्र. शासन का पत्र क्रमांक ऍफ़ 35-09/2020/सी-2/दो, दिनांक 10.05.2021

iv) मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 401/सी-4/एमपीएसडीएम्ए/21/टी&सीबी दिनांक 25.05.2021।

नीति आयोग, भारत शासन द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध रणनीति में CSOs/NGOs की भूमिका रेखांकित करते हुए राज्य एवं जिला स्तर पर एनजीओ के साथ कोआर्डिनेशन के लिए नोडल ऑफिसर को नियुक्त करने का निर्देश संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के माध्यम से जारी किया गया है। संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत शासन द्वारा कोरोना नियंत्रण में CSOs/NGOs की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें कार्यों में संलग्न किए जाने हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वय तंत्र निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के माध्यम से मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जिला/विकासखंड/ग्राम/वार्ड स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है, म.प्र. जन अभियान परिषद् के 27847 वालंटियर्स विलेज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में तथा 5888 वालंटियर्स वार्ड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 04 के माध्यम से राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान, गृह विभाग, म.प्र. शासन द्वारा CSOs/NGOs से जिला एवं राज्य स्तर पर समन्वय हेतु विभाग अथवा जन

Scanned by CamScanner

अभियान परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी को पूर्णकालिक नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित करने तथा नामांकित अधिकारी का विवरण प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 के अध्याय क्रमांक 2 की कंडिका 2.3 की तालिका क्रमांक 16 के अंतर्गत जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समस्त विभागों से अपनी योजनाओं के अनुश्रवण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा नियमित अंतराल में योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराने की अपेक्षा की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा राज्य/संभाग/जिला/विकासखंड स्तर पर शासन/प्रशासन एवं CSOs/NGOs/नागरिक/वॉलेंटियर्स के मध्य समन्वय स्थापित करने, कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु शासन के प्रयासों में जन भागीदारी बढ़ाने तथा शासन के विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था बनाई जाती है-

1. राज्य स्तर पर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद को नोडल संस्था नियुक्त किया जाता है। नोडल संस्था राज्य शासन के समन्वय एवं मार्गदर्शन में अपना कार्य करेगी।
2. संभाग स्तर पर संभागीय समन्वयक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। संभागीय नोडल अधिकारी, संभाग आयुक्त के समन्वय एवं मार्गदर्शन में अपना कार्य करेंगे।
3. जिला स्तर पर जिला समन्वयक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिला नोडल अधिकारी, जिला कलेक्टर के समन्वय एवं मार्गदर्शन में अपना कार्य करेंगे।
4. विकासखंड स्तर पर विकासखंड समन्वयक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद, को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। विकासखंड नोडल अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के समन्वय एवं मार्गदर्शन में अपना कार्य करेंगे।

उपरोक्त अनुसार राज्य/संभाग/जिला/विकासखंड स्तरों पर नियुक्त नोडल संस्था/नोडल अधिकारी से निम्न कार्यों का निष्पादन किया जाना अपेक्षित है:-

1. www.ngodarpan.gov.in पर उपलब्ध प्रारूप/अन्य सुसंगत प्रारूप में CSOs/NGOs/नागरिक/वॉलेंटियर्स का पंजीकरण जिला/विकासखंड/नगर/थाना/नगरीय वार्ड/ग्राम पंचायत वार करना। इस हेतु मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा उचित वेबसाइट/पोर्टल तैयार किया जाएगा। इन कार्यों हेतु तकनीकी सहयोग MAPIT द्वारा प्रदान किया जावेगा। समस्त शासकीय विभागों द्वारा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में पंजीकृत होकर अनुदान प्राप्त करते हुए कार्यरत CSOs/NGOs को अपनी जानकारी परिषद् के पोर्टल में दर्ज करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे। भविष्य में विभागों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर कार्य करने हेतु मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक व कलेक्टर अथवा परिषद के विकासखंड समन्वयक व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र को ही मान्य किया जावेगा। इसके अतिरिक्त विभाग में CSOs/NGOs के पृथक से पंजीयन करने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाता है। परिषद् द्वारा तैयार किए गए पोर्टल में पंजीकृत CSOs/NGOs/नागरिक/वॉलेंटियर्स का प्रमाण-पत्र

Scanned by CamScanner

सेल्फ जेनरेटेड होगा, जिस पर परिषद् के जिला समन्वयक व जिला कलेक्टर अथवा परिषद् के विकासखंड समन्वयक व अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किए जाएंगे।

2. उनके कार्यक्षेत्र में कोविड-19, आपदा प्रबंधन एवं शासकीय/प्रशासकीय योजनाओं/क्रियाकलापों में सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विशेषकर महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा सहायता में कार्यरत CSOs/NGOs/नागरिक/वालंटियर्स का अपेक्षित राहत/सेवा से संबंधित विभागीय अधिकारियों से संपर्क स्थापित करवाना। प्रत्येक विभाग ऐसी योजनाओं को चिन्हित करें, जिनमें जन सहभागिता/आईईसी (Information Education Communication)गतिविधियां/ बीसीसी (Behavioral Change Communication) गतिविधियां/सोशल ऑडिट/ आदि की आवश्यकता हो। विभाग अपने फील्ड ऑफिसर एवं जिला कलेक्टर्स को यह निर्देश जारी करें कि वे म.प्र. जन अभियान में पंजीकृत वॉलंटियर्स तथा एनजीओ का सहयोग अपनी योजनाओं में जन सहभागिता बढ़ाने के लिए लेना सुनिश्चित करें तथा सहयोग लेते समय पंजीकृत वॉलेंटियर्स तथा एनजीओ का प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण का कार्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा किया जावे।
3. मैदानी स्तर पर CSOs/NGOs/नागरिक/वालंटियर्स की समस्याओं का निपटारा किया जावेगा, जिसमें आवश्यकता वाले जिलों में संसाधनों एवं सेवाओं का आवंटन भी सम्मिलित है।
4. जिला स्तर पर समान प्रकार की सेवाओं की पुनरावृति ना हो इस हेतु CSOs/NGOs का ग्रामों तथा तालुकाओं के अनुसार भौगोलिक विभाजन किया जावेगा।
5. विभिन्न आवश्यक सेवाओं जैसे चिकित्सालय का स्थल, चिकित्सालय में बिस्तरों की व्यवस्था में सहयोग, ऑक्सीजन सुविधा की उपलब्धता, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का वितरण, ऑक्सीजन बैंक की स्थापना तथा एंबुलेंस सेवा, चिकित्सालय के प्रतीक्षा कक्ष में सुविधाएं उपलब्ध कराना, होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्तियों तथा गरीबों हेतु भोजन का वितरण, दिव्यांग लोगों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करना, अनाथ बच्चों का ध्यान रखना, लोगों को मनो-सामाजिक काउंसलिंग/मेडिकल काउंसलिंग प्रदान करना, टीकाकरण के लिए अभियान चलाना तथा सहयोग करना, मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार में सहयोग करना तथा अन्य सेवाओं का चिन्हांकन करना।
6. CSOs/NGOs को उपरोक्त सेवाओं का आवंटन करना जिससे कि प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक सेवा समय पर उपलब्ध हो सके।
7. स्वैच्छिक संगठनों को केंद्र एवं राज्य सरकार के समस्त प्रचलित दिशा निर्देश, आदेश एवं मार्गदर्शिकाएं उपलब्ध कराना एवं स्वयं समझना।
8. कोरोना उचित व्यवहार, टेस्टिंग, आइसोलेशन, उपचार, कोविड-19 उपरांत सुरक्षा आदि विषयों के संबंध में जन जागरण हेतु अभियान चलाना।
9. कोरोना प्रबंधन के विभिन्न आयामों जैसे चिकित्सालय की उपलब्धता, बिस्तर, ऑक्सीजन, चिकित्सक, नर्सेज तथा कंटेनमेंट जोन आदि के संबंध में विस्तृत डेटाबेस का संधारण करना।

Scanned by CamScanner

10. मानव संसाधन एवं वितीय संसाधनों को चिन्हांकित कर सक्रिय करना।

11. आवश्यक वस्तुओं का भंडारण एवं सप्लाई चैन मैनेजमेंट।

12. अन्य विषय जो जिला/क्षेत्र विशेष से संबंधित हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अभिषेक सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

क्रमांक 5.0.2./793/2021/23/यो.आं.सां. भोपाल, दिनांक 03./06/2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग. मंत्रालय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भारत सरकार, नीति आयोग, नई दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, गृह मंत्रालय।
6. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग।
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ग्रह विभाग एवं समन्वयक, मध्यप्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
9. महानिदेशक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

Scanned by CamScanner